# न्यायालय राजस्व मंडल मध्यप्रदेश कंन्द्र ग्वालियर

प्रकरण कमांक 2018 निगरानी–4831/2018/शाजापुर/भू.रा.

वल्लभप्रसाद पाटीदार पिता बद्रीनाथ पाटीदार,

आयु–42 वर्ष, निवासी–मोमनबड़ोदिया, जिला शाजापुर

------आवेदक

विरूद्ध

1– रखबचन्द्र पिता लीलाधर

निवासी–मोमनबड़ोदिया, जिला शाजापुर

2– मध्यप्रदेश शासन .....अनावेदक

## पुनरीक्षण आवेदन पत्र अंतर्गत धारा 50 भू राजस्व संहिता

माननीय महोदय,

आवेदक अधीनस्थ योग्य न्यायालय तहसीलदार मोमन बड़ोदिया प्रकरण क्रमांक 114/बी–121/13–14 में पारित आदेश दिनांक 18/07/2014 तथा राजस्व निरीक्षक द्वारा दी गई सीमांकन रिपोर्ट से असंतुष्ट एवम् दुखित होकर निम्न कारणों के आधार पर ज्ञान होने की दिनांक से यह अपील अन्दर अवधि प्रस्तुत है :–

01. यह कि, अधीनस्थ योग्य न्यायालय का आदेश जैर निगरानी विधि एवं विधान के विपरित होने से निरस्त किये जाने योग्य है ।

02. यह कि, अधीनस्थ तहसील न्यायालय द्वारा आवेदक को किसी प्रकार की कोई सूचना नही दी तथा आवेदक की पीठ पीछे एकपक्षीय रूप से सीमांकन आदेश पारित कर दिया ऐसी स्थिति में आवेदक की पीठ पीछे जो सीमांकन किया गया है वह धारा 129 भू–राजस्व संहिता के नियम एवम् प्रावधानों के विपरीत होने से प्राथमिक दृष्टि में ही निरस्त किये जाने योग्य है ।

03. यह कि, विधान में यह प्रावधान है कि सीमांकन के प्रकरण में पड़ोसी कृषकों को सूचना दी जाना अनिवार्य हैं तथा उनकी उपस्थिति में ही सीमांकन किया जाना चाहियें अगर उनकी अनुपस्थिति में सीमांकन किया गया है तथा उनको सूचना नही दी हैं ऐसी स्थिति में सीमांकन अवैध होने से निरस्ती योग्य है ।

04. यह कि, राजस्व निरीक्षक द्वारा जो प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया हैं उसमें कहीं पर भी इस बात का उल्लेख नहीं है कि किस–किस व्यक्ति का कितनी भूमि पर अवैध आधिपत्य है

निरन्तर.....2

XXIX(a)-BR(H)-11

# राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश - ग्वालियर

## अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

**प्रकरण क्रमांक** - निगरानी-4831/2018/शाजापुर/भू.रा.

| स्थान एवं दिनांक | कार्यवाही तथा आदेश | पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर . |
|---|---|---|
| 25.10.2018 | आवेदक अधिवक्ता श्री दिनेश व्यास उपस्थित। **आवेदक** की ओर से यह निगरानी तहसीलदार के आदेश के विरुद्ध **प्रस्तुत** की गई है। म.प्र. भू-राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 **को** हुए संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की **धारा** 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत तहसीलदार **द्वारा** पारित आदेश के विरुद्ध सुनवाई कलेक्टर द्वारा की जाना है। **अत:** यह प्रकरण सुनवाई हेतु कलेक्टर को भेजा जाता है। **उभयपक्ष** प्रकरण में सुनवाई हेतु दिनांक 3-1-19 को कलेक्टर, **जिला** शाजापुर के समक्ष उपस्थित हों।<br><br>**प्रशासकीय सदस्य** | |